


27.06.2025 वाकिल प्राचीगण अनुपारणित । न्यायालय
समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वाकिल
मय वादी को आवाजे दिलवाई गई । लेकिन वाकिल
व वादी में से कोई उपारणित नहीं हुआ है । लिहाजा
प्राची का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में
खारिज किया जाता है ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो ।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा